

संख्या-1325/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2024

विषय- सर्पदंश न्यूनीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण हेतु प्रदेश के 18 जनपदों में कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल धनराशि ₹0 11,70,80,480/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-5754/रा०आ०का०/2024-25, दिनांक 20-06-2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्पदंश न्यूनीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण हेतु प्रदेश के 18 जनपदों (अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, चंदौली, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सुल्तानपुर) में कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि ₹0 11,70,80,480/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ अस्सी) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 15-12-2023 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 18 जनपदों (अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, चंदौली, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सुल्तानपुर) में कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनराशि ₹0 11,70,80,480/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ अस्सी) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्त/प्रतिबंध

- (1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-I, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गार्डिलाईन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही समस्त कार्य कराया जायेगा उससे इतर कोई कार्य नहीं कराया जायेगा।
- (3) राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा जनपद गाजीपुर, बाराबंकी व सोनभद्र में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित सर्पदंश न्यूनीकरण योजना का इम्पेक्ट एनालेसिस कराकर इम्पेक्ट एनालेसिस के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय हस्त पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।

(5) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 11,70,80,480/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ अस्सी) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 बृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,
Ram Kewal
Date: 01-08-2024 (16:58:44)
(राम केवल)
विशेष सचिव

संख्या:-1325(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
- 2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ०प्र० शासन।
- 6- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आजा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-07/08/2024

प्रेषण संख्या:- 1325
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1325
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	117080480 313761785	117080480 313761785
	योग	वर्तमान प्रगामी	117080480 313761785	117080480 313761785

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ सत्तर लाख अस्सी हजार चार सौ अस्सी

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इकत्तीस करोड़ सैंतीस लाख इकसठ हजार सात सौ पंचासी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।